

उत्तराखण्ड सरकार,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
100/6, नैशविला रोड, देहरादून।
संख्या: / स्था0(क0सं0नियुक्ति)/2013 दिनांक: 30 जुलाई, 2019
कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या 226/ दिनांक 11 जून, 2019 के अन्तर्गत चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्न चयनित अभ्यर्थियों को अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड में कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन लेवल-03 वेतनमान ₹ 21700-69100 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न प्रकार तैनाती प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती का केन्द्र
1	2	3	4
1	श्री कपिल चौहान	पुत्र श्री शिवराज सिंह चौहान, म0नं0-86, अतमलपुर बौंगला, पो0ओ0-बहादुराबाद, जनपद-हरिद्वार (उत्तराखण्ड)	कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी।
2	श्री रमन बमराड़ा	पुत्र श्री विनोद कुमार बमराड़ा, 94-तुलसी विहार कालोनी फेस-1 गुमानीवाला श्यामपुर, ऋषिकेश, देहरादून(उत्तराखण्ड)	कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3	श्री आशीष नेगी	पुत्र श्री साधो सिंह नेगी, मार्फत-श्री रोहित आर्या 50-डी0एल0रोड, नियर-हरि मंदिर, टचवुड स्कूल, देहरादून (उत्तराखण्ड)	कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, चमोली।
4	श्री अमित कुमार	पुत्र श्री सत्यपाल, मकान नं0-184 ग्राम/पो0ओ0-बालावाला, नियर-मालसी पुलिया, देहरादून(उत्तराखण्ड)	कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरिद्वार।
5	श्री विक्की कुमार,	पुत्र श्री महेश चन्द्र, मौ0 गंज, लकी कार्नर के सामने वाली गली, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)	कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6	कु0 किरन गुरुरानी	पुत्री श्री कुष्णानन्द गुरुरानी, नियर-एफ0सी0आई0 गोदाम, दयानन्द स्कूल, वार्ड नं0-6, टनकपुर, जिला-चम्पावत (उत्तराखण्ड)	अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून।

2- शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते नियमानुसार, देय होंगे।

- 3- प्रबिन्ध यह है कि सेवायें सन्तोषजनक न होने पर किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 4- तैनाती केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 5- नियुक्त अभ्यर्थी प्रत्येक दशा में आदेश जारी होने 15 दिन के भीतर तैनाती केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा उक्त नियुक्ति आदेश निरस्त किये जा सकते हैं।
- 6- कार्यभार ग्रहण करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल रूप में तैनाती कार्यालय में प्रस्तुत करें।

ह0 / -

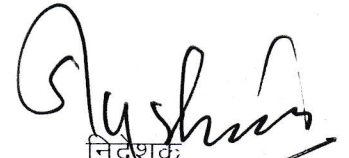
(सुशील कुमार)

निदेशक

संख्या: 897 / स्था0(क0सं0नियुक्ति)/2013 दिनांकित:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या 226 / दिनांक 11 जून, 2019 के क्रम में।
- 2- संयुक्त निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान, देहरादून।
- 3- उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
- 4- उप निदेशक(स्था0) निदेशालय।
- 5- वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
- 6- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/टिहरी/चमोली/हरिद्वार/रूद्रप्रयाग।
- 7- अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी/टिहरी/चमोली/हरिद्वार/रूद्रप्रयाग को इस आशय के साथ कि कनिष्ठ सहायक पद पर चयनित अभ्यर्थी के अभिलेखों की जाँच मुख्यालय स्तर पर की जा चुकी है, परन्तु पारदर्शिता हेतु अपने स्तर से भी अभिलेखों की जाँच सुनिश्चित करें। चयनित अभ्यर्थी के अभिलेखों की एक प्रति संलग्न कर कार्यालय अभिलेख हेतु प्रेषित की जा रही है।
- 8- अर्थ एवं संख्याधिकारी(आहरण वितरण) अर्थ एवं संख्या निदेशालय।
- 9- वेब इन्फॉर्मेशन अधिकारी, निदेशालय।
- 10- सम्बन्धित कनिष्ठ सहायक।
- 11- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


निदेशक,
अर्थ एवं संख्या।